न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 18/2018 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. सूवा पुत्र नारायण
2. रामचन्द्र पुत्र मोती
3. काना पुत्र मोती
4. कैलाश पुत्र मोती
5. हंसराज पुत्र मोती

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम मूण्डिया तहसील लालसोट जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रतन पुत्र काल्या
2. रमेश पुत्र काल्या
3. नादान पुत्र काल्या

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम मूण्डिया तहसील लालसोट जिला दौसा।

4. अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति उप जिला कलक्टर लालसोट।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1970 बाबत् खसरा नं. 15 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम मूण्डिया तहसील लालसोट बहक अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 3 के पिता काल्या पुत्र भूरया)

उपस्थिति : श्री योगेश जाखड अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 उपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक: 22.03.2021

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि कैम्प मूण्डिया तहसील लालसोट में दिनांक 12.11.1970 को सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 15 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 के पिता काल्या के हक में किया गया था। जबकि खसरा नं. 15 के सम्बन्ध में किसी प्रकार की उद्घोषणा जारी नहीं की गई, न ही मौके पर भूमि आवंटन योग्य थी, न ही आवंटी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा रहा है। आवंटन के लिये निहीत नियमों की पालना न करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से वादग्रस्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 के पिता काल्या के पक्ष में किये जाने के कारण व काल्या के निधन के पश्चात् उक्त भूमि का नामान्तरकरण अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 के नाम खोल दिये जाने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1970 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र 14(4) न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल आवंटन अभिलेख तलब किया गया। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि खसरा नं. 15 आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। उक्त भूमि खसरा नं. 15 रकबा 5 बीघा का अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 के पिता के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण खोला गया। जिस समय यह नामान्तरकरण खोला गया उस समय मौके की वास्तविक रिपोर्ट नहीं ली गई। आवंटन के पश्चात् भी आवंटित भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है जबकि आवंटन नियमों के अनुसार आवंटी को प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत व शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में जोतना आवश्यक होता है। किन्तु आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की कोई पालना नहीं की गई है। गिरदावरी में देखा जा सकता है कि निर्धारित समयावधि मे कृषि नहीं की गई है। समयावधि बाद अलॉटमेन्ट खारिज किया जा सकता है। आवंटन नियमो की पालना नहीं किये जाने के कारण यह आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आवंटनशुदा भूमि पर प्रार्थीगण का बुजुर्गो के समय से ही कब्जा चला आ रहा है एवं प्रार्थीगण ने लाखों रूपये कब्जा करके उक्त भूमि को काश्त योग्य बनाया है। आवंटन के पूर्व से ही उक्त भूमि खाली नहीं थी बल्कि प्रार्थीगण व उनके पूर्वजो का कब्जा काश्त था। आवंटन से पूर्व भूमि के सम्बन्ध में कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई। आवंटन की कार्यवाही मजमे आम में नहीं हुई बल्कि गुपचुप में हुई है। इसलिये प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 के पिता काल्या के हक में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1970 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 द्वारा जवाब बहस के दौरान निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पिता काल्या को किया गया आवंटन पूर्ण विधि प्रक्रिया अपनाकर विधिवत उद्घोषणा जारी करते हुए सभी नियमों को देखकर किया गया है। उक्त भूमि आवंटन योग्य सिवायचक भूमि थी। प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र लगभाग 50 वर्ष उपरान्त लाये है। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 3 सद्भावी कृषक है। तभी इनको खातेदारी मिली है। इन्होने बैंक से ऋण लेकर कृषि कार्य किया है एवं भूमि का अपेक्षित विकास किया है। हमे खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है। खातेदारी अधिकारी दिये जाने के पश्चात् अलॉटमेन्ट खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRT- 2017(2) Page 878, RRT- 2016(2) Page 884, RRD- 1986 Page 137 पेश है। प्रार्थीगण को आवंटन की प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी थी एवं इतनी लम्बी अवधि पश्चात् आवंटन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र झूंठा आधार बनाकर एवं झूंठे तथ्यों का वर्णन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना आवंटी द्वारा की जा रही है। हम पूर्ण रूप से आवंटनशुदा भूमि पर काबिज है। उक्त आवंटन की कार्यवाही मजमे आम में समस्त कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम खारिज फरमाये जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी भली प्रकार से अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 3 के पिता को किया गया आवंटन विधिवत रूप से उद्घोषणा जारी कर किया गया है। आवंटन हुए लगभग 50 वर्ष से अधिक हो गये है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य, सबूत भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है। खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्त इस पर चस्पा होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 के पिता काल्या के हक में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1970 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल आवंटन अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा